FTS:- 67275

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लॉट न0 01, सैक्टर नॉलेज पार्क–4,
ग्रेटर नोएडा

पत्रांक : ग्रेनो / बिल्डर्स / 2021 / 524
दिनांक : 26 अक्टूबर, 2021

कार्यालय आदेश

शासनादेश संख्या 3804 / 77–4–19–142एन / 08 दिनांक 05.12.2019 में नौएडा, ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस–वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की बिल्डर्स परियोजनाओं में शून्यकाल दिये जाने तथा समय विस्तरण प्रदान किये जाने से सम्बन्धित नीति निर्धारित की गई है ।

उपरोक्त शासनादेश में निर्धारित नीति को तीनों प्राधिकरणों में लागू किये जाने के संदर्भ में तीनों प्राधिकरणों के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारियों की संयुक्त समिति की संस्तुति, जिसमें तीनों प्राधिकरणों में अपनाई जाने वाली कार्ययोजना प्रस्तुत की गई थी, को ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 117वीं बोर्ड बैठक दिनांक 10.02.2020 के मद संख्या 117 / 9 में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया, जिसे बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया।

इसके साथ ही उक्त संदर्भित शासनादेश को प्राधिकरण की 117वी बोर्ड बैठक दिनांक 10.02.2020 के मद संख्या 117 / 8 में प्राधिकरण द्वारा अंगीकृत कर लिया गया है तथा कार्यालय आदेश संख्या ग्रेनो / बीआरएस / 2020 / 785 दिनांक 03.03.2020 के माध्यम से प्राधिकरण में लागू कर दिया गया ।

उपरोक्त शासनादेश के प्रस्तर संख्या 02(1 एवं 5) में उल्लेख है कि शासनादेश में उल्लेखित अवधि का निशुल्क समय विस्तरण एवं शून्य अवधि की सुविधा ऐसे विकासकर्ता को ही अनुमन्य होगी, जो फलैट बायर्स के हितो को संरक्षित करने के उद्देश्य से जून, 2021 तक परियोजना पूर्ण करने का लिखित आश्वासन देते है और यदि उनके द्वारा दिये गये आश्वासन के क्रम में दिनांक 30.06.2021 तक अपनी परियोजना को पूर्ण नही की जाती है तो समय विस्तरण शुल्क एवं शून्य अवधि से सम्बन्धित सुविधा / छूट निरस्त कर दी जायेगी ।

इसके उपरान्त शासनादेश संख्या 1887(2) / 77–4–20–142एन / 08टी.सी. दिनाक 02.07.2020 के माध्यम से शासनादेश संख्या 3804 / 77–4–19–142एन / 08 दिनांक 05.12.2019 में आंशिक संशोधन करते हुऐ कार्य पूर्ण करने के लिए निर्धारित अवधि दिनांक 30 जून, 2021 से बढ़ाकर दिनांक 31 दिसम्बर, 2021 कर दी गई । तदानुसार प्रस्ताव प्राधिकरण की 123वीं बोर्ड बैठक दिनाक 25.09.2021 के मद संख्या 123 / 11 में प्रस्तुत किया गया, जिसकी कार्योत्तर स्वीकृति बोर्ड द्वारा प्रदान कर दी गई है ।

अतः शासनादेश संख्या 3804 / 77–4–19–142एन / 08 दिनांक 05.12.2019 में कार्य पूर्ण करने के लिये निर्धारित अवधि दिनांक 30.06.2021 के स्थान पर दिनाक 31.12.2021 मानी जाये इसके साथ ही कार्यालय आदेश संख्या ग्रेनो / बीआरएस / 2020 / 785 दिनांक 03.03.2020 में तदानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है । शेष नियम व शर्तें शासनादेश संख्या 3804 / 77–4–19–142एन / 08 दिनांक 05.12.2019 के अनुरूप ही रहेंगी।

Signed by
Duli Amandeep
ACEO
22/10/21 22:18:16

(अमनदीप डुली)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपिः–

1. स्टाफ ऑफीसर को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित ।
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (डी) महादय के अवलोकनार्थ प्रेषित ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष
4. प्रबन्धक (सिस्टम) को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार कार्यालय आदेश को प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें ।

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी